न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 03/2019

वादी

1. लाभशंकर पुत्र गुणेशराम
   जाति राजपुरोहित निवासी लाधूनगर जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी
2. स्व. बाबूलाल पुत्र गुणेशराम के विधि वारिसान :–
   2/1 भास्कराचार्य पुत्र स्व. बाबूलाल
   2/2 पूपेन्द्रकुमार पुत्र स्व. बाबूलाल
   2/3 भाग्येश कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल
   जति पुरोहित निवासी लाधूनगर जेठन्तरी तहसील समदडी
3. सुखदेव पुत्र गुणेशाराम
4. दिलीपसिंह पुत्र गुणेशाराम
5. कान्ताबेन पुत्री गुणेशाराम पत्नी नत्थुभाई
6. निरूबेन पुत्री गुणेशाराम पत्नी पुखराज
   जाति पुरोहित निवासी लाधूनगर जेठन्तरी

वाद पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता वादी
2. श्री उमसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 25/09/20

वादी ने न्यायालय में वर्तमान वाद पत्र रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं, कि खेत खसरा नम्बर 319/79 रकबा 14–15 बीघा, खसरा नम्बर 320/79 रकबा 8–03 बीघा, खसरा नम्बर 321/79 रकबा 24–03 बीघा, खसरा नम्बर 322/79 रकबा 5–03 बीघा, खसरा नम्बर 323/79 रकबा 11–08 बीघा, खसरा नम्बर 324/79 रकबा 14–08 बीघा, खसरा नम्बर 325/79 रकबा 0–01 बीघा खसरा नम्बर 326/79 रकबा 1–09 बीघा कुल रकबा 79–10 बीघा सरहद मौजा कूम्पावास पटवार क्षेत्र कूम्पावास तहसील समदडी में वादी व प्रतिवागण संख्या 2 ता 6 के हक हकूम व कब्जा स्वामित्व का विद्यमान है। उक्त वादग्रस्त आराजी डाया व मोटाराम पिसरान हुकमाराम कौमें चौधरी निवासी कुसीप से वएवज रूपये 500/– में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के द्वारा व वादी के पिता गुणेशाराम के द्वारा बहिस्सा बराबर में सम्पूर्ण आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख खरीद की थी। उक्त विक्रय विलेख में पेज संख्या 1 की तीसरी पंक्ति में सहवन बहक मुस्समी गुणेशराम बाबूलाल लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह बेटा पोतरा लालसिंह कौम पुरोहित निवासी जेठन्तरी लिख दिया गया, यानि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पिता गुणेशराम को भी वादी व प्रतिवादीगण के नाम से लिख दिया गया, जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की वल्दीयत लिखने से रह गई व मात्र पोता लालसिंह लिख दिया गया। उक्त विक्रय विलेख की रूह में नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 07.08.65 को [illegible] किया गया, जिसमें कॉलम संख्या 11 में बाबूलाल, लाभशंकर सुखदेव [illegible] पि0 गुणेशराम, गुणेशराम पि0 लालसिंह लिखा गया है, जो पूर्णतया सही लिखा गया है किन्तु उक्त

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.10.13 12:24:17 IST
Reason: SelfAttested

म्यूटेशन की जमाबन्दी में वापिस इन्द्राज किया गया तो पुनः त्रुटिवश यादि जैसा विक्रय विलेख में लिखा हुआ है वैसा ही यानि बाबूलाल लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह गुणेशराम पिसरान लालसिंह लिख गया गया। जबकि सही रूप से बाबूलाल लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह पिसरान गुणेशराम तथा गुणेशराम पिसरान लालसिंह लिखना चाहिये था, ऐसा इन्द्राज नहीं करने से त्रुटिपूर्ण इन्द्राज लगातार चलता रहा। जिससे उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु रेकर्ड दुरूस्ती का वाद न्यायलय में लाना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वाद पत्र का इकबाली जवाब प्रस्तुत कर माफिक अनुतोष दावा डिकरी किया जाने का निवेदन किया गया। भूमि धारक तहसीलदार समदडी ने अपनी रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष का रेकर्ड में साक्ष्य सबूतों के आधार पर दुरूस्ती होती है तो इससे राज्यहित प्रभावित नहीं होंगे। वादी ने साक्ष्य में स्वयं उपस्थित होकर अपने बयान कलमबद्ध कराते हुए निवेदन किया कि मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के सामलाती सह खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 319/79 रकबा 14-15 बीघा, खसरा संख्या 320/79 रकबा 8-03 बीघा, खसरा नम्बर 321/79 रकबा 24-03 बीघा, खसरा नम्बर 322/79 रकबा 5-03 बीघा, खसरा नम्बर 323/79 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नम्बर 326/79 रकबा 1-09 बीघा सरहद मौजा कुम्पावास में आई है यह भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 01.06.1962 को डाया व गोटाराम पिसरान हुकमाराम निवासी कुसीप से रूपये 500/- में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के द्वारा खरीद की गई थी जिसमें मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का हिस्सा बराबर है तत्कालीन समय रजिस्ट्री में मुसम्मी गुणेशरामजी बाबूलाल लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह बेटा पोत्रा लालसिंह लिख दिया गया जिसकी रूह में नामान्तरकरण संख्या 30 भरा गया जो बाबूलाल लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह पुत्र गुणेशराम पुत्र लालसिंह कौम पुरोहित साकिन जेठन्तरी के नाम से स्वीकृत किया गया जो सही किया किन्तु आगे की जमाबन्दी में बाबूलाल लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह गुणेशराम पुत्र लालसिंह लिख दिया गया तो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है गुणेशारामजी मुझ वादी व प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पिता थे। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के सुधार हेतु मैंने यह वाद पत्र पेश किया है जो माफिक अनुतोष सही इन्द्राज भास्कराचार्य, भूपेन्द्रकुमार, भाग्येश कुमार पि0 बाबूलाल, लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह पि0 गुणेषाराम किया जावे। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रदर्श-1ए, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-2, नामान्तरकरण प्रतिलिपि प्रदर्श-3, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-4, जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-5, जमाबन्दी संवत 2025-2028 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-6, जमाबन्दी संवत् 2033-2036 की प्रमाणि प्रति प्रदर्श-7, वादी का आधार कार्ड प्रति प्रदर्श 8ए, प्रदर्श करवाये गये।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता से बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। अवलोकन दस्तावेजात से तथ्य स्पष्ट है कि वादी [illegible] संख्या 2 ता 4 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का क्रय करते वक्त [illegible] लेख में पेज संख्या 1 की तीसरी पंक्ति में सहवन बहक [illegible] गुणेशराम [illegible] लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह बेटा पोतरा लालसिंह [illegible] लिख दिया गया,

सहायक कलेक्टर (SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.10.13 12:24:17 IST
Reason: SelfAttested

यानि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पिता गुणेशराम को भी वादी व प्रतिवादीगण के नाम से लिख दिया गया, जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की वल्दीयत लिखने से रह गई व मात्र पोता लालसिंह लिख दिया गया। उक्त विक्रय विलेख की रूह में नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 07.08.65 को स्वीकृत किया गया, जिसमें कॉलम संख्या 11 में बाबूलाल, लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह पि0 गुणेशराम, गुणेशराम पि0 लालसिंह लिखा गया है, जो पूर्णतया सही लिखा गया है किन्तु उक्त म्यूटेशन की जमाबन्दी में वापिस इन्द्राज किया गया तो पुनः त्रुटिवश यादि जैसा विक्रय विलेख में लिखा हुआ है वैसा ही यानि बाबूलाल लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह गुणेशराम पिसरान लालसिंह लिख गया गया। जबकि सही रूप से बाबूलाल लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह पिसरान गुणेशराम तथा गुणेशराम पिसरान लालसिंह लिखना चाहिये था। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद पत्र को स्वीकार कर माफिक इश्तदुआ दावा डिकरी किये जाने का निवेदन किया है तथा भूमि धारक तहसीलदार समदडी ने भी अपनी रिर्पोट में यह स्पष्ट किया है कि उक्त त्रुटि सुधार किये जाने पर राज्यहित प्रभावित नहीं होंगे।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 319/79 रकबा 14–15 बीघा, खसरा संख्या 320/79 रकबा 8–03 बीघा, खसरा नम्बर 321/79 रकबा 24–03 बीघा, खसरा नम्बर 322/79 रकबा 5–03 बीघा, खसरा नम्बर 323/79 रकबा 0–01 बीघा, खसरा नम्बर 326/79 रकबा 1–09 बीघा सरहद मौजा कुम्पावास के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज भास्कराचार्य भूपेन्द्र कुमार भाग्येश कुमार पि. बाबूलाल, बाबूलाल लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह गुणेषाराम पि. लालसिंह को दुरूस्त कर सही इन्द्राज भास्कराचार्य भूपेन्द्र कुमार भाग्येश कुमार पुष्पा रमिला पि0 बाबूलाल, बाबूलाल लाभशंकर सुखदेव दिलीपसिंह कान्ताबेन निरूबेन पिसरान गुणेशलाल अंकित कर राजस्व अभिलेख सुधार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिकरी पर्चा इसी अनुसार तैयार हो। खर्चा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते हुए पक्षकारान अपना अपना बहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/09/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.10.13 12:24:17 IST
Reason: SelfAttested